

कार्यालय जिला पंचायत- गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

(महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ)

Email Id- mgnregagariaband@gmail.com

Ph. & Fax No.- 07706- 241356



//आदेश//

क्रमांक /३० /जि.पं. /स्था. /मनरेगा /2018-19

गरियाबंद दिनांक ०५-०५-१८

सचिव, छ.ग.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर के पत्र क्रमांक 439 दिनांक 01.02.2017 के तारतम्य में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत स्वीकृत लेखापाल (संविदा) के पद पर नीचे उल्लेखित अभ्यर्थियों को पदभार ग्रहण तिथि से 28.02.2019 तक के लिये संविदा नियुक्ति नीचे उल्लेखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

क्र.	चयनित कर्मचारी	पिता/पति का नाम	पता	चयनित प्रवर्ग	एकमुश्त वेतनमान
1	पूजारानी देवांगन	वयशमपायन देवांगन	करबला कुदरुबाडी, म.नं. -25 / 649 बिलासपुर 495001	अनारक्षित महिला	16445/-
2	शशी नगरची	सुशील कुमार नगरची	महामाया मंदिर महामाई पारा गली नं.-2, पुरानी बस्ती रायपुर 492001	अनुसूचित जनजाति महिला	16445/-
3	ज्योति देवांगन	श्री भुखनलाल देवांगन	दुर्गा चौक सेमरा, वार्ड नं.-10, पो.-सेमरा, तह.-नगरी, जिला-धमतरी 493778	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	16445/-

संविदा की शर्तें:-

1. संविदा अवधि पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 28.02.2019 तक के लिये होगी।
2. संविदा पर प्रतिमाह एकमुश्त वेतन देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, पेंशन इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।
4. संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी को प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों की एच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्ति होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जावेगा अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
5. यह नियुक्ति छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ-9-1/2012/1-3 रायपुर दिनांक 17.01.2013 के निर्देशानुसार छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।
6. संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को किसी भी प्रकार के पेंशन/उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
7. संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) 1965 से शासित होंगे।
8. संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन (परफार्मेंस एपराइजल रिपोर्ट) लिखा जावेगा। ताकि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सकें।
9. संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन के कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है।

10. संविदा आधा पर नियोजन की अवधि में संबंधित को कहीं अन्यत्र नियोजन अथवा धन लाभ अर्जित करने संबंधी कार्य वर्जित होगा एवं नियोजित व्यक्ति को पूर्णकालिक सेवा नियुक्तिकर्ता अधिकारी को देना होगा।
11. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन (मानदेय) देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
12. उपस्थिति मान्य होने के 15 दिवस के अन्दर जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य उपयुक्त प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. चयनित अभ्यर्थी तक कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद (मनरेगा प्रकोष्ठ) में अपनी उपस्थिति देवेंगे। नियत तिथि पश्चात् उपस्थिति नहीं होने पर संबंधितों की नियुक्ति मान्य नहीं होगी तथा उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

(कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अनुमोदित)

Gaudam

(विनीत नंदनवार)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत गरियाबंद

पृ.क्रमांक /31/ जि.पं. /स्था. /मनरेगा /2018-19
प्रतिलिपि:-

गरियाबंद दिनांक 05-6-18

1. अपर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छ.ग.शा. नया रायपुर।
2. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा विभागाध्यक्ष कार्यालय, नया रायपुर।
3. आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला गरियाबंद।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गरियाबंद, छुरा, फिंगेश्वर, मैनपुर, देवभोग जिला गरियाबंद को सूचनार्थ।
6. संबंधित श्री को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
चयनित अभ्यर्थी जिला पंचायत गरियाबंद में अपने मूल प्रमाण—पत्रों के साथ दिनांक तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

टीप:- प्रमाण—पत्रों के सत्यापन में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण—पत्र में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी/ त्रुटि या भिन्नता पायी जाने पर नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त मानी जावेगी।

Gaudam

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत गरियाबंद

कार्यालय जिला पंचायत— गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

(महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ)



Email Id- mgnregagariaband@gmail.com

Ph. & Fax No.- 07706- 241356

//आदेश//

क्रमांक /३२ /जि.पं. /स्था. /मनरेगा /2018-19

गरियाबंद दिनांक ०५-५-१८

सचिव, छ.ग.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर के पत्र क्रमांक 439 दिनांक 01.02.2017 के तारतम्य में एवं आयुक्त, मनरेगा नया रायपुर के पत्र क्रमांक 1227 दिनांक 30.03.2017 द्वारा अतिरिक्त पद स्वीकृति अनुसार महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत स्वीकृत डॉटा एन्ट्री ऑपरेटर-MIS (संविदा) के पद पर नीचे उल्लेखित अभ्यर्थियों को पदभार ग्रहण तिथि से 28.02.2019 तक के लिये संविदा नियुक्ति नीचे उल्लेखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

क्र.	चयनित कर्मचारी	पिता / पति का नाम	पता	चयनित प्रवर्ग	एकमुश्त वेतनमान
1	तेजेन्द्र कुमार कंवर	श्री बदन सिंह कंवर	ग्रा. नवागांव, पो.-परखण्ठा, तह. -कुरुद, जि.-धमतरी पि-493663	अनारक्षित मुक्त	16445/-
2	वीणा वर्मा	श्री द्वारिका प्रसाद वर्मा	न्यू सर्वोदय नगर पचपेड़ी नाका, नियर चरण किराना स्टोर्स रायपुर पि-492001	अनारक्षित महिला	16445/-
3	सोनम यदु	श्री रामनारायण यदु	गुडरूपारा, शिवचौक वार्ड न. -27, महासमुद्र 493445	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	16445/-
4	खिलेश कुमार	श्री गोपीचंद ध्व	ग्रा० रेगाड़ीह, पो. मुड़ीभांवर, तह. मगरलोड, जि.धमतरी पि-49663	अजजा मुक्त (भू पू.से. के विरुद्ध)	16445/-
5	चंद्रमणी	स्व. राजा राम दीवान	ग्रा.कुण्डेल, पो.तरीघाट, था. राजिम, जि.गरियाबंद पि-493992	अनुसूचित जनजाति महिला	16445/-

संविदा की शर्तें:-

1. संविदा अवधि पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 28.02.2019 तक के लिये होगी।
2. संविदा पर प्रतिमाह एकमुश्त वेतन देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, पेंशन इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।
4. संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी को प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों की एच्छक अवकाश की पात्रता होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्ति होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जावेगा अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
5. यह नियुक्ति छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ-9-1/2012/1-3 रायपुर दिनांक 17.01.2013 के निर्देशानुसार छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।
6. संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को किसी भी प्रकार के पेंशन/उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
7. संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) 1965 से शासित होंगे।

8. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन (परफार्मेंस एपराइजल रिपोर्ट) लिखा जावेगा। ताकि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सकें।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन के कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है।
10. संविदा आधा पर नियोजन की अवधि में संबंधित को कहीं अन्यत्र नियोजन अथवा धन लाभ अर्जित करने संबंधी कार्य वर्जित होगा एवं नियोजित व्यक्ति को पूर्णकालिक सेवा नियुक्तिकर्ता अधिकारी को देना होगा।
11. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन (मानदेय) देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
12. उपस्थिति मान्य होने के 15 दिवस के अन्दर जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य उपयुक्त प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. चयनित अभ्यर्थी तक कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद (मनरेगा प्रकोष्ठ) में अपनी उपस्थिति देवेंगे। नियत तिथि पश्चात् उपस्थिति नहीं होने पर संबंधितों की नियुक्ति मान्य नहीं होगी तथा उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।
14. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा इन्ड्रावती भव नया रायपुर के पत्र क्रमांक 1227 दिनांक 30.03.2017 में दिये गये निर्देशानुसार नियुक्ति किये गये डाटा एन्ट्री ऑपरेटर विशेष रूप से जनपद पंचायत स्तर पर भरे हुये मस्टर रोल की एन्ट्री, ऑनलाईन Wegelist तैयार किया जाना एवं समय पर FTO तैयार करने जैसे कार्यों का संपादन करने के लिए उत्तरदायी होगा। महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित उपरोक्त कार्यों का निर्धारित समयावधि में संपादन नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।

(कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अनुमोदित)

Haudaun,
(विनीत नंदनवार)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत गरियाबंद

गरियाबंद दिनांक 05-04-18

पृ.क्रमांक /३३/ जि.पं. /स्था. /मनरेगा /2018-19

प्रतिलिपि:-

1. अपर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छ.ग.शा. नया रायपुर।
2. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा विभागाध्यक्ष कार्यालय, नया रायपुर।
3. आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला गरियाबंद।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गरियाबंद, छुरा, फिंगेरेश्वर, मैनपुर, देवभोग जिला गरियाबंद को सूचनार्थ।
6. संबंधित श्री को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित। चयनित अभ्यर्थी जिला पंचायत गरियाबंद में अपने मूल प्रमाण—पत्रों के साथ दिनांक तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

टीप:- प्रमाण—पत्रों के सत्यापन में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण—पत्र में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी/ त्रुटि या भिन्नता पायी जाने पर नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त मानी जावेगी।

Haudaun,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत गरियाबंद